(7) (103)

कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

पत्र संख्याः 2018/40793/बरे0/बरेली/1433/जी0डी0 ,21/10/2018/2018 दिनांकःफरवरी 2018

सेवा में,

प्रबन्धक/स्वामी,
मैस्काट कालेज ऑफ एजुकेशन,
ग्राम रिठौरा, पीलीभीत रोड,
जनपद बरेली।

विषयः ग्राम रिठौरा, पीलीभीत रोड बरेली जनपद बरेली पर निर्मित/निर्माणधीन मैस्काट कालेज ऑफ एजुकेशन, शैक्षिक भवन हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः आपका पत्रांकःशून्य दिनांकः13.01.2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत निर्मित/निर्माणधीन भवन हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत निर्मित/निर्माणधीन भवन हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का भौतिक निरीक्षण/परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद बरेली श्री के0एन0 रावत द्वारा सुसंगत मानकों के अनुसार कराया गया तो उनकी निरीक्षण संस्तुति आख्या **दिनांकः20.02.2018** तथा उपनिदेशक फायर सर्विस बरेली/मुरादाबाद परिक्षेत्र की परीशीलन आख्या **दिनांकः21.02.2018** का अद्योहस्ताक्षरी द्वारा परीशीलन किया गया, तो निम्न विवरण पाया गया :–

1--भवन की संरचना--

1--कुल भूखण्ड ऐरिया--12620.00 वर्गमीटर।
2-- निर्मित भूतल कवर्ड ऐरिया--2060.00 वर्गमीटर।
3-- निर्मित प्रथम तल कवर्ड ऐरिया--2010.00 वर्गमीटर।
4-- निर्मित द्वितीय तल कवर्ड ऐरिया--2010.00 वर्गमीटर।
5-- भवन की ऊँचाई--10.86 मीटर।

2--भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी--प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की **शैक्षणिक** श्रेणी के अर्न्तगत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्थाऐं--

1--पहुँचमार्ग--प्रश्नगत भवन के सामने **60.00** मीटर चौडी रोड उपलब्ध है।
2--प्रवेश द्वार-- प्रश्नगत भवन के प्रवेश द्वार की चौडाई--**6.00** मीटर उपलब्ध है।
3--सैटबैक--
अः-- अग्रभाग-- 17.98 मीटर।
बः-- पृष्ठभाग-- 49.39 मीटर ।
सः-- पार्श्व--I-- 8.23 मीटर।
दः-- पार्श्व--II--18.29 मीटर ।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबैक भवन नियमावली के अनुसार है सैटबैक सदैव अवरोधमुक्त रखे जायेंगें। सैट बैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा।

04--निकास मार्गः--प्रश्नगत भवन में 02 अदद स्टेयरकेश जिनमें प्रत्येक की चौडाई--1.50 मीटर मानचित्रों में प्राविधानित है, जिनको फलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अर्न्तगत है। **नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया--2005 के अनुसार प्रस्तावित भवन में कम्पार्टमेन्टेशन हेतु स्टेयरकेशों पर फायर चेकडोर की व्यवस्था का प्राविधान किया जाना अनिवार्य है।**

05--अग्नि सुरक्षा व्यवस्था-- प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0--2005 के सुसंगत प्राविधानो के अनुसार निम्न अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें करायी जानी अनिवार्य हैः--

1--हौजरीलः प्रश्नगत भवन में हौजरील लैण्डिंग वाल्व आई.एस.--884 मानकों के अनुसार।

COLLEGE OF EDUCATION AUTHORISED SIGNATORY

2--टैरिस टैंकः प्रश्नगत भवन के टेरिस पर टेरिस टैंक 10,000 लीटर क्षमता एन0बी0सी0 के मानकों के अनुसार।

3--टेरिस पम्प--प्रश्नगत भवन में टैंक के पास टेरिस पम्प क्षमता--450 एल0पी0एम0 एन0बी0सी0 के अनुसार

4--प्राथमिक अग्निशमन उपकरणः-- प्रश्नगत भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण आई0एस0:2190 के अनुसार।

5--एक्जिट साइनेजः-- प्रश्नगत भवन में एक्जिट साइनेज मानकों के अनुसार।

6--पी0ए0 सिस्टमः-- पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था प्रश्नगत भवन में मानकों के अनुसार।

उपरोक्तानुसार <u>ग्राम रिठौरा, पीलीभीत रोड़ बरेली जनपद बरेली पर निर्मित/निर्माणधीन पैस्कार्ट कालेज ऑफ एजुकेशन, शैक्षिक भवन हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र</u> इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी समस्त प्राविधान भवन विनयामावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया--2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार उपलब्ध कराये जाने के पश्चात भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस,
मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

<u>प्रतिलिपि--निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।</u>

1-- उपनिदेशक फायर सर्विस बरेली/मुरादाबाद परिक्षेत्र।

2-- मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद बरेली।

3-- उच्च शिक्षा अधिकारी बरेली।

4-- अग्निशमन अधिकारी बरेली।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस,
मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

AUTHORISED COLLEGE OF EDUCATION